दवा निर्माण को प्रोत्साहित करेगी नई फार्मा नीति

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 की अधिसूचना जारी कर दी।

एफएसडीए की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह द्वारा इसे जारी किया गया। यह नीति आठ जून 2023 से अगले पांच साल के लिए प्रभावी होगी। इसमें स्वदेशी दवाओं को बढ़ावा देने को आयुष हेल्थकेयर उत्पादन बनाने वाली इकाइयों को वरीयता दी जाएगी।